UPST010054082026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर

उपस्थित–सुनील कुमार–IV, उच्चतर न्यायिक सेवा
न्यायिक अधिकारी कोड सं0 यू0पी01885

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1770 / 2026

शिल्पी सिंह आयु लगभग 28 वर्ष पत्नी स्व0 अमित सिंह निवासिनी ग्राम मदनपुर पनियार थाना लम्भुआ, जनपद सुलतानपुर

.....प्रार्थिनी / अभियुक्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... आपत्तिकर्ता

मुकदमा अपराध संख्या–68 / 2026
धारा–103(1), 238 बी0एन0एस0,
थाना–लम्भुआ, जनपद–सुलतानपुर

दिनांकः 10.06.2026

प्रार्थिनी / अभियुक्ता शिल्पी सिंह की ओर से थाना–लम्भुआ, जनपद–सुलतानपुर के मुकदमा अपराध संख्या–68 / 2026 अन्तर्गत धारा–103(1), 238 बी0एन0एस0 के मामले में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्यानुसार सी0आई0एस0 पर उपलब्ध डाटा के अनुसार उपरोक्त अपराध संख्या में पूर्व में किसी अभियुक्त का कोई अग्रिम / नियमित जमानत प्रार्थना निस्तारित नहीं हुआ है।

सम्बन्धित थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार प्रार्थिनी / अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थिनी / अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना गया तथा सम्यक रूप से उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

संक्षिप्ततः अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा अजीत सिंह द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिनांक 16.02.2026 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादी वर्तमान में मुम्बई में रहता है। दि0 16.02.2026 को सुबह जब वादी सो रहा था कि उसकी भाभी की बहन आरती सिंह ने भाभी के मो0नं0 6388619379 से वादी को कॉल कर बताया कि भैया अमित जीजा की दीपक ने हत्या कर दी है, जिस पर वादी ने अपने चचेरे भाई अरविन्द सिंह को देखने हेतु बताया। उन्होने देखकर मुझे बताया कि हां अमित सिंह घर में चारपाई

पर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। उनके गले पर धारदार हथियार से चोट पहुंचायी गयी है। इसके बाद वादी ने थाने पर फोन करके सूचना दिया। वादी की भाभी शिल्पी सिंह का दीपक सिंह से अवैध सम्बन्ध है। वह दीपक के साथ एक बार भाग भी चुकी है। वादी की भाभी शिल्पी सिंह और दीपक ने मिलकर अमित सिंह की हत्या साजिश रचकर कर दिया है। वादी के भाई की डेड बॉडी घर पर पड़ी है। वादी की भाभी घर से भाग चुकी है।

यह प्राथमिकी अभियुक्तगण शिल्पी सिंह (प्रार्थिनी/अभियुक्ता) व दीपक के विरूद्ध पंजीकृत की गयी।

प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से अभियोजन कथानक के अनुसार घटना में संलिप्तता से इनकार करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता बिल्कुल निर्दोष है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थिनी के फोन से घटना की सूचना देने की बात कही गयी है। मृतक अत्यधिक शराब पीने का आदी था। कई माह पूर्व प्रार्थिनी को मारा पीटा था तथा घर से निकाल दिया था, जिससे प्रार्थिनी कुछ दिनों से अपने मायके में ही रह रही थी। प्रार्थिनी के बयान में विवेचक द्वारा दीपक को कई बार फोन करने का उल्लेख किया है, जबकि अवलोकन सी0डी0आर0 अभियुक्त दीपक सिंह के मोबाइल नम्बर 7080229370 व शिल्पी सिंह का मोबाइल नम्बर 6388619379 पर दि0 10.02.2026 से दि0 18.02.2026 तक किसी प्रकार की वार्ता का होना नहीं पाया गया है। कथित घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है। घटना किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कारित की गयी है। प्रार्थिनी से कथित जैकेट की बरामदगी झूठी है। उक्त बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा किया जाना आवश्यक है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा सहअभियुक्त दीपक सिंह, जिसके साथ उसका अवैध सम्बन्ध था, के साथ मिलकर स्वयं के पति की हत्या कर दी गयी। प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

निम्नांकित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कि–

1. प्रार्थिनी/अभियुक्ता, मृतक अमित सिंह की पत्नी है।

2. प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता पर यह आक्षेप है कि उसने सहअभियुक्त दीपक सिंह, जिसके साथ उसका अवैध सम्बन्ध था, के साथ मिलकर दि0 16.02.2026 को अपने पति अमित सिंह की हत्या कर दिया।

3. प्रार्थिनी/अभियुक्ता की बहन आरती सिंह, जिसके द्वारा प्रार्थिनी/अभियुक्ता के मोबाइल से वादी मुकदमा अजीत सिंह को फोन करके घ ाटना की सूचना दी गई थी, ने पुलिस के समक्ष दिये अपने बयान अंतर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0 में यह कथन किया है कि दिनांक 15.02.2026 को समय करीब 11 बजे दिन में मैं अपनी बहन शिल्पी सिंह (प्रार्थिनी/अभियुक्ता) के साथ उसके पति अमित सिंह के साथ जनवारीनाथ धाम गई थी। वहाँ हम लोग मन्दिर में दर्शनपूजन कर रहे थे। उसी दौरान दीपक सिंह अपनी बहन के साथ वहाँ आया, जिसे देखकर अमित सिंह गुस्सा हो गये और मेरी बहन शिल्पी (प्रार्थिनी/अभियुक्ता) से गाली–गलौज करते हुए मारपीट करने लगे थे। यह देखकर दीपक सिंह वहाँ से चला गया था। इसके बाद हम लोग दोपहर करीब 2–3 बजे अपने घर ग्राम मदनपुर पनियार वापस आये थे। वहाँ कुछ समय रुकने के बाद मैं अपने घर ग्राम सकवा वापस चली गयी थी। अगले दिन दिनाक 16.02.2026 की सुबह समय करीब 05.00 बजे दरवाजा खटखटाने पर मेरी नींद खुली कि मैंने पुकार कर पूछा कि कौन है तो उसने बताया था कि मै शिल्पी (प्रार्थिनी/अभियुक्ता) हूँ। इसके बाद मैंने दरवाजा खोल दिया तो देखा कि मेरी बहन शिल्पी सिंह (प्रार्थिनी/अभियुक्ता) अपने बेटे यश के साथ घबरायी हुई आयी थी, जिसको मैंने बिस्तर पर लेटा दिया, फिर पूछा क्या हुआ तो उसने बताया था कि दीपक सिंह ने अमित की हत्या कर दी है। मैं घबरा गयी फिर उसने बोला कि अजीत को फोन लगाकर बता दो। इसके बाद मैंने शिल्पी (प्रार्थिनी/अभियुक्ता) के फोन से उसकी ननद सुमन सिंह तथा देवर अजीत व अरविन्द उर्फ मुन्ना को फोन कर घटना की सूचना दी थी।

4. प्रार्थिनी/अभियुक्ता को दि0 16.02.2026 को ही गिरफ्तार किया गया तो उसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए पुलिस के समक्ष यह बयान दिया कि मेरे पति अमित सिंह ट्रक चलाते हैं और उनकी दोस्ती दीपक सिंह से थी, जो अक्सर हमारे घर आते जाते रहते थे, जिस कारण मेरे व दीपक सिंह के बीच प्रेम संबंध हो गया था तथा मेरे पति की गैर मौजदूगी में भी दीपक सिंह घर आने लगा था। हम दोनो के बीच शारिरीक संबंध भी बन गया था। अगस्त 2025 में मैं अपने पुत्र यश उम्र करीब 4 वर्ष के साथ दीपक सिंह के साथ मुम्बई चली गयी थी और करीब दो महीने उसी के साथ रही थी। उसके बाद मैं अपने मायके चली

आयी थी। कल दिनांक 15.02.2026 को मेरे पति अमित सिंह ने बैट्री रिक्शा जनवारीनाथ धाम चलने के लिए भेजा था, समय करीब 11 बजे मैं अपनी बहन आरती को साथ लेकर अपने पति अमित के साथ जनवारीनाथ धाम पर आयी थी, जहाँ पर मैं अपने पति अमित सिंह के साथ मन्दिर में घूम रही थी। मैंने अपने बॉयफ्रेण्ड दीपक सिंह को पहले ही जनवारीनाथ धाम जाने की बात बता दिया था कि जनवारीनाथ धाम जा रही हूँ, जिस पर दीपक भी अपनी बहन के साथ वहाँ पर आ गया था। मेरे पति ने जब दीपक को देखा तो मुझे गाली गलौज करते हुये बोले कि तुमने इसे बुलाया है और मुझे उसी के सामने मारे पीटे थे। यह देखकर दीपक अपनी बहन के साथ वापस चला गया था। उसके बाद समय करीब दो–तीन बजे हम लोग मन्दिर से अपने घर ग्राम मदनपुर पनियार आये थे। चाय पानी के बाद मेरी बहन अपने घर ग्राम सकवा वापस चली गयी थी। मेरे पति गैस सिलेण्डर लाने एजेन्सी भदैंया गये थे। इसी बीच दीपक ने मुझे मिस्ड कॉल किया था। मैने वापस कॉल किया तो दीपक ने बोला कि आज रात में मैं तुम्हारे पति को मार दूंगा, तुम दरवाजा खुला रखना। पति की हत्या करने के लिये मैंने ही दीपक से कहा था कि आज इसे खत्म कर दो, फिर हम दोनो साथ रहेंगे। मेरा पति सिलेण्डर लेकर वापस आया तो मैंने खाना बना दिया। मैं व्रत थी इसलिए मैंने खाना केवल अमित और अपने बेटे यश उम्र करीब 4 साल के लिए ही बनाया था। दोनो को खाना खिला दिया था। अमित ने कल बहुत शराब पी रखी थी, जिस कारण वह जल्दी ही सो गया था। अधिक शराब पीने के कारण अमित ने बिस्तर पर ही पेशाब कर दिया था इसलिए नंगा ही सोया हुआ था। इसी बीच दीपक ने दो बार मुझे फोन किया था पर मैं देख नहीं पाई थी इसलिए उठाई नहीं। जब मैने देखा तो रात के करीब 11 बजे थे। तब मैने दीपक को कॉल किया तो उसने बोला कि मेरे घर पर सभी लोग जाग रहे हैं, थोडी देर में आता हूँ। इसी बीच मैंने उसे कई बार कॉल किया कि जल्दी आओ सवेरा हो जायेगा तो हम अमित को मार नही पायेंगे तो दीपक ने बोला कि चिंता मत करो मैं जल्दी ही आता हूँ। दीपक लगभग दो बजे रात में पहुंचा हाथ में कुल्हाडी लिये हुये था। मैंने पहले ही दरवाजा खोल रखा था। वह अन्दर आकर फ्रिज से पानी पीया और बगल चारपाई पर बैठकर अमित को देखता रहा। लगभग दस मिनट बाद मैंने बोला कि मैं इसे पकडती हूँ, तुम गर्दन पर जोर से मारो। मेरा बेटा अमित के बगल में ही रजाई ओढ़ कर लेटा हुआ था। मैंने अमित को अपने हाथों से पकडा वह गहरी नींद में था, इसी बीच दीपक ने कुल्हाडी से अमित के गर्दन पर कई बार वार किया। खून के छिटे चारो तरफ फैल गया। अमित मौके पर ही मर गया था। फिर मैं अपने बेटे यश को लेकर दीपक के साथ वहाँ से बाहर से कुण्डी बन्द करके पैदल ही निकल

ली थी। रेलवे पटरी के किनारे–किनारे मुझे लेकर मेरे मायके के लिए निकल गया।

5. दि0 19.02.2026 को जब सहअभियुक्त दीपक सिंह को गिरफ्तार किया गया तो उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी की बरामदगी की गई।

6. केस डायरी के पर्चा नं0–1 में स्वतंत्र गवाहान रंजीत सिंह, विनय सिंह, सतीश सिंह व मृतक की बहन श्रीमती सुमन सिंह के बयान अंतर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0 दर्ज हैं, जिन्होने अपने–अपने बयान में प्रार्थिनी/अभियुक्ता के सहअभियुक्त दीपक सिंह के साथ अवैध सम्बन्ध होने के तथ्य का समर्थन किया है।

7. केस डायरी के पर्चा नं0–10 में स्वतंत्र गवाहान श्रीमती अंजू सिंह व ब्रह्मदेव सिंह के बयान अंतर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0 दर्ज हैं, जिन्होने भी अपने–अपने बयान में प्रार्थिनी/अभियुक्ता के सहअभियुक्त दीपक सिंह के साथ अवैध सम्बन्ध होने के तथ्य का समर्थन किया है।

8. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के शरीर पर पोस्टमॉर्टम के समय निम्नलिखित मृत्यु–पूर्व चोटें पायी गयी थीं:–

(I) INCISED WOUND 7CMX2CM MUSCLE DEEP PRESENT ON LEFT SIDE OF NECK 1CM BELOW LEFT EAR LOBULE.

(II) INCISED WOUND 3CMX0.5CM PRESENT 2CM BELOW INJURY NUMBER 1.

(III) INCISED WOUND 8CMX1CM PRESENT ON LEFT SIDE OF NECK 3CM BELOW LEFT MANDIBLE.

(IV) INCISED WOUND 8CMX2.5CM PRESENT ON ANTERIOR SURFACE OF NECK 2CM BELOW FROM INJURY NUMBER 3 WITH INVOLVING TRACHEA AND BLOOD VESSELS.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु का कारण मृत्यु–पूर्व आयी चोटों से हुआ अत्यधिक रक्तस्राव व सदमा था।

9. मृतक का पोस्टमॉर्टम करने वाले चिकित्सक डॉ0 सभाराम का बयान केस डायरी के पर्चा नं0–8 में दर्ज है, जिन्होने अपने बयान अंतर्गत धारा–180 बी0एन0एस0एस0 में यह कहा है कि मृतक के गले पर कुल 04 धारदार हथियार से लगे घाव पाए गए थे। आंतरिक परीक्षण में hyoid bone एवं trachea कटी हुई तथा गर्दन की मांसपेशियां भी कटी हुई पाई गई थी। मृतक की मृत्यु का कारण अत्यधिक रक्तस्राव एवं शॉक है, जो कि antemortem चोटों के कारण हुआ है तथा उक्त चोटें किसी धारदार एवं कठोर वस्तु से कारित की गई हैं।

10. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि केस डायरी के पर्चा नं0–12 में अवलोकन सी0डी0आर0 सहअभियुक्त दीपक सिंह से यह स्पष्ट है कि दि0 10.02.2026 से दि0 18.02.2026 तक प्रार्थिनी/अभियुक्ता शिल्पी सिंह व सहअभियुक्त दीपक सिंह के मध्य कोई वार्ता ही नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में प्रार्थिनी/अभियुक्ता एवं सहअभियुक्त दीपक सिंह ने अपने संस्वीकृति बयान में जो यह कथन किया है कि घटना के दिन कई बार फोन पर उनके मध्य बात–चीत हुई थी, गलत है। पुलिस द्वारा अपने अनुसार संस्वीकृति बयान लिख लिया गया है। यह न्यायालय विद्वान अधिवक्ता के उपर्युक्त तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि प्रार्थिनी/अभियुक्ता की बहन आरती सिंह ने स्पष्ट रूप से अपने बयान में घटना के पूर्व जनवारीनाथ धाम पर हुई घटना का उल्लेख किया है और प्रार्थिनी/अभियुक्ता के सामने ही उसके पति की अमित द्वारा हत्या किये जाने के बाद प्रार्थिनी/अभियुक्ता का अपनी ससुराल से सुबह 05:00 बजे अपने मायके आने का कथन किया है।

यह न्यायालय प्रार्थिनी/अभियुक्ता को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार होना नहीं पाता है।

आदेश

प्रार्थिनी/अभियुक्ता शिल्पी सिंह की ओर से थाना–लम्भुआ, जनपद–सुलतानपुर के मुकदमा अपराध संख्या–68/2026 अन्तर्गत धारा–103(1), 238 बी0एन0एस0 के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 10.06.2026

(सुनील कुमार–IV)
सत्र न्यायाधीश,
सुलतानपुर
J.O. Code: UP 1885

मधुलिका सिंह/–

Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2026.06.10 15:46:46 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court